राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ......1971/2015...जिला..............................उदयपुर..........................

उनवान – मै0 सीजन्स होटल प्रा0लि0 उदयपुर बनाम अतिरिक्त आयुक्त, प्रतिकरापंवचन, उदयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2016	एकलपीठ – कैम्प उदयपुर श्री ईश्वरीलाल वर्मा, सदस्य अपीलार्थी अभिभाषक श्री श्यामलाल सिसोदिया व विभागीय पैराकार श्री डी पी औझा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 109/वैट/15–16/स्थगन/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.09.2015 के विरूद्व पेश की गई है। जिसमें अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किये जाने को चुनौती दी गई है, तथा शेष राशि की वसूली की रोक हेतु यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र हमारे समक्ष पेश किया गया है। उपस्थित पक्षकारों की अपील मय स्थगन मय प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि विद्वान अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.09.2015 पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा होटल का संचालन किया जाता है तथा रूम सेल्स के अर्न्तगत फुड और बैवरिज की बिक्री की जाती है तथा इस बिक्री पर नियमानुसार कर का भुगतान भी किया गया है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की इस बिक्री पर सर्विस टैक्स का आरोपण करते हुए मांग राशिया कायम की गई। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी निर्णय पारित करने से पूर्व बिना किसी समूचित कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा की गई यह बिक्री सर्विस टेक्स के दायरे में नही आती है अतः इस बिक्री पर सर्विस टैक्स का आरोपण उचित नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपने इस कथन के साथ निवेदन किया कि प्रकरण में विधिक बिन्दु निहित है तथा प्रकरण में सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में है तथा यदि यह राशि वसूल की गई तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा जो मांग राशिया कायम की गई है उसकी वसूली पर रोक लगाई जाये।	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ......1971 / 2015...जिला..............................उदयपुर..........................

उनवान – मै0 सीजन्स होटल प्रा0लि0 उदयपुर बनाम अतिरिक्त आयुक्त, प्रतिकरापंवचन, उदयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2016	विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय रोक आवेदन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टता संविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रकरण के तथ्यों में हस्तक्षेप किये बिना तथा गुणावगुण को प्रभावित किये बिना कायम की गई मांग में से बकाया मांग राशि रू0 362459/– की वसूली की कार्यवाही पर रोक स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वे आदेश प्राप्ति के 2 माह में अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना सुनिश्चित करे। आदेश सुनाया गया। 25.2.2016 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य	